न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

विविध प्रकरण सं. 02/2017

1. राजकुमार भार्गव दत्तक पुत्र हीरालाल दत्तक माता धापीदेवी जाति भार्गव निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच।
2. पंचायत समिति हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—असल अप्रार्थीगण/ गैरनिगरानीकर्ता

3. हरप्यारी पत्नी मोतीराम जाति कुम्हार
4. विधा पत्नी सुल्तान जाति नायक
5. हीरा पत्नी प्रेमकुमार जाति नायक
6. निरायणी पत्नी रजीराम जाति नायक
7. रामप्यारी पत्नी मोमनराम जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 15/2014 के पक्षकार)

8. निर्मला पत्नी कालूराम जाति नायक
9. गोमती पत्नी रामप्रताप जाति नायक
10. कलावती पत्नी भागीरथ जाति नायक
11. सरवती पत्नी भादरराम जाति नायक
12. धर्मा पत्नी नत्थुराम जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 02/2015 के पक्षकार)

13. अमरजीत कौर पत्नी रामसिंह जाति रामदासिया
14. सोमती पत्नी वद्रीप्रसाद जाति नायक
15. शाहकौरी पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक
16. तुलछी पत्नी वालचन्द जाति नायक
17. विदामी पत्नी भागीरथ जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 16/2014 के पक्षकार)

18. संतरो पत्नी मंगलाराम जाति नायक
19. इन्द्रा पत्नी ओमसिंह जाति राजपूत
20. महंतो पत्नी जसवंतराम जाति नायक
21. मुन्नी पत्नी इमीचन्द जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 11/2014 के पक्षकार)

22. रजियावानो पत्नी श्योकत अली जाति मुसलमान
23. सुमन पत्नी रणवीर जाति नायक
24. विरमा पत्नी नानूराम जाति नायक
25. गिरदावरी पत्नी सोहनलाल जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 12/2014 के पक्षकार)

26. धन्नी पत्नी प्रेमकुमार जाति नायक
27. माया पत्नी उदाराम जाति नायक
28. शांति पत्नी कुरड़ाराम जाति नायक
29. सिलोचना पत्नी राजेन्द्र जाति नायक
30. पार्वती पत्नी महावीर जाति नायक

निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (प्रकरण सं. 14/2014 के पक्षकार)

—तरतीवी अप्रार्थीगण/ गैरनिगरानीकर्ता

पुनर्विलोकन विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 30.9.2016 जिसके द्वारा निगरानी प्रस 15/2014 अनवानी हरप्यारी आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्रसं 2/2015 अनवानी निर्मला आदि बनाम ग्राम पचायत धोलीपाल आदि, प्रस. 16/2014 अनवानी अमरजीत कौर आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्र.स. 11/2014 अनवानी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

संतरो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि प्र.सं. 12/2014 अनवानी रजियाबानो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि का एकजाई निर्णय किया जिसकी रूह से भूलवश प्रार्थी की दत्तक माता स्व धापी देवी के नाम से भूखण्ड संख्या सी–371 का जारी पट्टा संख्या 000742 दिनांक 21.1.2009, जिसमें शनिदेव मंदिर बना हुआ है, को निरस्त कर दिया गया है–को बहाल करने हेतु।

उपस्थितः– 1. श्री राजकुमार भार्गव अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री नरेश कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णयः–

दिनांकः–29.01.2026

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थी की दत्तक माता स्व धापी देवी पत्नी हीरालाल के नाम से ग्राम धोलीपाल में एक भूखण्ड संख्या सी–371 के आधा भाग का अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा पट्टा संख्या 000742 दिनांक 21.1.2009 जारी किया गया है जिस पर पुराना शनि मंदिर बना हुआ है जिसको अप्रार्थी संख्या 2 पंचायत समिति हनुमानगढ़ की स्थापना समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.7.2014 एवं इस संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1162 दिनांक 19.8.2014 द्वारा अन्य भूखण्डो के साथ–साथ प्रार्थी की माता के नाम से जारी पट्टा संख्या 000742 भी खारिज कर दिया गया जिसको अप्रार्थी संख्या 2 पंचायत समिति हनुमानगढ़ की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनाक 15.10.2014 में प्रस्ताव संख्या 18 पारित कर प्रार्थी की माता के नाम भूखण्ड सख्या सी–371 का पट्टा संख्या 000742 को पुनः बहाल कर दिया गया था। तत्पश्चात् पट्टा संख्या 000711 से 000741, 000743 व 000709वी के पट्टाधारकों द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अलग–अलग निगरानी प्र.स. 15/2014 अनवानी हरप्यारी आदि बनाम ग्राम पचायत धोलीपाल आदि, प्र.सं. 2/2015 अनवानी निर्मला आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि. प्र.स 16/2014 अनवानी अमरजीत कौर आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्र.सं. 11/2014 अनवानी संतरो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्र.स. 12/2014 अनवानी रजियाबानो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि प्रस्तुत कर अप्रार्थी सख्या 2 पंचायत समिति हनुमानगढ़ की स्थापना स्थाई समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनाक 23.7.2014 एवं इस सबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1162 दिनांक 19.8.2014 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिसमें प्रार्थी की माता के नाम भूखण्ड संख्या सी–371 पट्टा सख्या 000742 कतई विवादित नहीं था, ना ही इस सबंध में श्रीमान्जी के समक्ष कोई निगरानी ही प्रस्तुत की गई थी लेकिन श्रीमान् न्यायालय द्वारा समस्त निगरानीयों का एकजाई निर्णय कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधीन आदेश फरमाया है कि– प्रशासन एवं स्थाई समिति पचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.7.2014 एवं इस संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समितिहनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1162 दिनांक 19.8.2014 यथावत् रखा जाता है, प्रत्येक पत्रावली में निर्णय की प्रति संलग्न की जावें। उक्त वर्णित श्रीमान् न्यायालय के निर्णय में प्रार्थी की माता के नाम के भूखण्ड संख्या सी–371 के पट्टा संख्या 000742 को भी विवेचित किया गया है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी पुनर्विलोकन शक्तियों के अधीन पारित प्रस्ताव एवं आदेश दिनांक 15.10.2014 की वैधता एवं प्रभावशीलता पर विपरीत रूप से असर पड़ा है जिससे प्रार्थी क्षुब्ध एव पीड़ित है। इसलिए प्रार्थी के समक्ष श्रीमान्जी के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है ताकि प्रार्थी की माता के नाम से जारी पट्टा पुनर्विलोकनाधीन आदेश से अप्रभावित रहे। प्रार्थी की माता के नाम से जारी भूखण्ड के पट्टा को किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी एवं ना ही पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा पुनर्विलोकन शक्तियों के अधीन पारित आदेश को भी श्रीमानजी के समक्ष चुनौती दी गई है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश करने की मियाद 90 दिवस है जो अंदर मियाद है। अतः श्रीमानजी के समक्ष

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पचायतीराज अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि पुनर्विलोकनाधीन प्रार्थना पत्र अधीन निर्णय व आदेश के ऑपरेटिव पार्ट में यह शब्द संशोधित कर जोड़े जाने का आदेश फरमायें कि इस निर्णय एवं आदेश का प्रभाव पंचायत समिति हनुमानगढ़ के प्रस्ताव संख्या 18 दिनाक 15.10.2014 व आदेश दिनांक 18.12. 2014 क्रम सं 2205 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेहरबानी होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलवी की गई। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 01 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की अप्रार्थीगण द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे। यह कि ग्राम पंचायत धौलीपाल के द्वारा दिनांक 21.01.2009 को प्रार्थी की माता श्रीमति धापीदेवी पत्नी श्री हीरालाल को एक पट्टा जारी किया था और इस दिनांक को अन्य लोगो के भी पट्टे जारी किये थे। इन पट्टो के फर्जी होने की शिकायत भूपराम पुत्र मुंशीराम के द्वारा प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति के समक्ष दिनांक 19.06.2014 को की गई थी। इस शिकायत पर प्रशासन स्थाई स्थापना समिति द्वारा दिनांक 19.08.2014 को समस्त पट्टे निरस्त कर दिये गये थे। इस आदेश की विरूद्ध प्रार्थी पुनः प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति के समक्ष अपना पट्टा संख्या 00732 को बहाल करने बावत् एक प्रार्थना पत्र प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति के द्वारा स्वीकार करते हुये प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति की साधारण सभा में दिनांक 15.10.2014 को प्रस्ताव सख्या 18 पारित कर प्रार्थी की माता जी के पक्ष में जारी पट्टा 00732 को बहाल करने का आदेश ग्राम पंचायत धौलीपाल को जारी कर दिया। इस आदेश की पालना में ग्राम पंचायत धौलीपाल ने ग्राम पंचायत की आम सभा में दिनांक 20.12.2014 को प्रस्ताव सख्या 1 पारित कर पट्टा बहाल करने का आदेश पारित किया। अन्य पट्टाधारक जिनके पट्टे प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति के द्वारा क्रम संख्या 00711 से 00750 व 00709–बी के पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित किया था। इसकी बेनाराजगी में श्रीमान् अपर जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के समक्ष विभिन्न रिविजने प्रस्तुत की गई जिनकी क्रम संख्या क्रमशः 2/2015 व 11/2014 12/2014 15/2014, 18/2014, 17/2014 कुल 6 रिविजने प्रस्तुत की गई। इन रिविजनो का आदेश श्रीमान अपर जिला कलेक्टर महोदय, हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किया गया। इस आदेश में पट्टा संख्या 00711 से 00750 तक व 709–बी के पट्टे निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये थे। जबकि प्रार्थी का पट्टा 00732 क्रम संख्या पर दर्ज होने के कारण इस आदेश से आंशिक रूप से प्रभावित होता है जबकि प्रार्थी के माता के नाम से जारी पट्टा संख्या 00732 पुर्व में ही प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति द्वारा बहाल कर ग्राम पंचायत धौलीपाल को आदेशित कर दिया था और ग्राम पंचायत धौलीपाल के द्वारा भी दिनांक 20.12. 2014 को प्रस्ताव पारित कर बहाल कर दिया गया था। लेकिन श्रीमान् अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश 30.09.2016 के आदेश अन्तिम पैरा सं० 1 में 00711 से 00750 व 00709–बी के पट्टे निरस्त करने के आदेश पारित किये गये है। इसमें संशोधन करते हुये 00711 से 00731 व 00733 से 00750 व 00709–बी के पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित करना था जबकि 00732 को इस आदेश में सम्मिलित नहीं करना था, इससे प्रार्थी आंशिक रूप से प्रभावित होता है. जिसमें प्रार्थी की भविष्य में ग्राम पंचायत से विवाद उत्पन्न होने की आंशका भी बनी रहेगी। जबकि इस आदेश में क्रम स० 00732 को डिलिट करना चाहिए था। अत लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान् अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 30.09.2016 में आंशिक संशोधन किये जाने का आदेश पारित करे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

1- HC(Raj) civil writ petition no 11008 of 2009 Mohan kavia and oth vs. ADM-III and oth Date 05.05.2011

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 में प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा उक्त पट्टा स्थल पर निर्मित मंदिर में लोगों की धार्मिक भावना जुड़े होने के कारण प मंदिर में नियमित पूजा अर्चना होने के कारण मंदिर हटाए जाने की कार्यवाही से असंतोष पैदा हो सकता है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए प्रार्थी का पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई। प्रार्थी का पट्टा समिति द्वारा बहाल रखा गया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 1162 दिनांक 09.08.2014 से प्रशासन एवं स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 07 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.139 (60) परावि/विधि/सामान्य–पटटा/2006/1349 दिनांक 21.4.07 की पूर्ण विवेचना करते हुए उक्त आदेश में अंकित व्यक्तियों में से किसी का भी निवास नहीं होने एवं न्यूनतम डीएलसी दरों की राजस्व हानि पहुंचाने के बिन्दु पर ग्राम पंचायत धोलीपाल की पूर्व सरपंच श्रीमति रामप्यारी के द्वारा जारी पट्टे क्रमांक 000711 से 000750 एवं 000709–बी निरस्त किये गये है।
2. उक्त आदेश के उपरान्त प्रशासन एवं स्थायी समिति के प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 15.10.2014 द्वारा प्लॉट संख्या सी/371 पट्टा संख्या 000742 को बहाल कर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने हेतु प्रेषित किया गया।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 1162 दिनांक 09.08.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश निगरानी प्रकरण संख्या 15/2014 अनवानी हरप्यारी आदि बनाम ग्राम पचायत धोलीपाल आदि, प्र.सं. 2/2015 अनवानी निर्मला आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि. प्र.स 16/2014 अनवानी अमरजीत कौर आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्र.सं. 11/2014 अनवानी संतरो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि, प्र.स. 12/2014 अनवानी रजियाबानो आदि बनाम ग्राम पंचायत धोलीपाल आदि समस्त के निर्णय दिनांक 30.09.2016 से पट्टे क्रमांक 000711 से 000750 एवं 000709–बी की निरस्ती को यथावत रखा गया।
4. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2016 में प्रशासन एवं स्थायी समिति के प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 15.10.2014 द्वारा प्लॉट संख्या सी/371 पट्टा संख्या 000742 का पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को प्रेषित किये जाने का अंकन लिपिकीय भूलवंश नही किया गया जो पत्रावली पर साबित है।

अतः पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2016 प्रशासन एवं स्थायी समिति के प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 15.10.2014 के हद तक सशोंधन माना जावें। ग्राम पंचायत धोलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क वसूल कर पट्टा जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)